

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगुनियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

जनपद नैनीताल में जिला योजना के अन्तर्गत बजून से फगुनियांखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 455 / 111-2/06-97 (प्रा0आ0) 05 दि0 24.12.2006 द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई एवं 9.00 मी चौड़ाई हेतु रु0 73.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके कम में उक्त मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जा रहा है ।

यह मार्ग नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग के किमी0 12 में बजून नामक स्थान से प्रारम्भ होकर ग्राम फगुनियांखेत तक जाता है। यह मार्ग पूर्ण लम्बाई में आरक्षित वन भूमि में होकर जाता है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम फगुनियांखेत की लगभग 100 की आबादी लाभान्वित होगी। अतः उपरोक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अनंद


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल


सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल


अधिरासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल

प्रपत्र,

2100 को पत्र,

संयुक्त सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा,

मुख्य अभियन्ता सार-1,

लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- निर्देश नं. 2005-06 में 135 (एक सौ पचास) कर्मचारी की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यवस्था की स्वीकृति।

गवर्नर,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 135

कार्यों के रूप में 9458.00 की लागत के आगमनों पर दी-रखी द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 135 कार्यों पर रूप में 8028.25 लाख (रुपये नवें करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की लागत के आगमन की उनके समग्र अंकित रॉलिंग के काल-5 के विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के शिर्षे उनके समग्र काल-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु. 1.35 लाख (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) की दरनाशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यव की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन धार्मिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगमन में उचितस्थित वरों का विवरण निम्न के अधीन अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित/द्वारे को जो दरे सिद्धयुक्त आक रेड में स्वीकृत नहीं है, अर्थात् राजार माय से ली गई हो, की स्वीकृति निम्नानुसार अधीन अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कर्म प्रारम्भ करने से पूर्व वृत्ति एवं निजी गृहि आदि की कार्यवाही करी जाय, तथा गृहि का गुणवत्ता नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं गृहि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कच्चा प्रात करने के उपरान्त ही कर्म प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन/मानविय मठित कर नियमानुसार सामग्री प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उत्तरा ही व्यव किया जाय अितना की स्वीकृत नार्ग है, स्वीकृत नार्ग से अधिक व्यव कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन मठित कर नियमानुसार सामग्री प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दस/विशिष्टों के अनुसार ही कार्यों को सम्पन्नित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य करने से पूर्व स्थल का भौतिक निरीक्षण उच्चधिकारि एवं गुणवत्ता के साथ अवश्य कराये।

8. निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण दिक्की के अनुसार कार्य किया जाय।

9. आगमन में जिन मदों हेतु जो स्वीकृति की गई है व्यव रखी माद में किया जाय, एक माद का दूरी, माद में व्यव कदापि न किया जाय।

10. निम्न सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्यवाही सम्पन्न होने पर निम्नानुसार निर्देश अनुसार कार्य किया जाय।

05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्देश आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(सह)

2005 (40) / 50000000 / 00000000

2005 06

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु नीचे के अन्तर्गत कर के कच्चा काम के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कच्चा प्रभाव नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अलग अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासन-देश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके बचतशील शासन को राशिला कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व बिना गारण्टी में बजट में गुजल, वित्तीय हस्तगुप्तकाल के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य शासन प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता है उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगमनों/पुनरीक्षित आगमनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विवरण के आगमनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का हितक-आगमनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कर दिया जाय। कार्य करते समय देवदर विवरण-नियमों का भी अनुपालन 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर दिया जाय। कार्य करते समय देवदर विवरण-नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

14. आगामी विस्तार तब ही अनुमति की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/वित्तीय प्रगति विवरण एवं उपयोजित प्रमाण दत्त प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी विस्तार अनुमति की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं सामयिकता हेतु संबंधित अधिकारी अभिलेख पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के अंतर्गत व्यय के लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 खंडों तथा सेटुओं पर पूर्वोक्त परिसर -04 लिखा तथा अन्य खंडों के नामे अला

आयोजना-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 तथा निर्माण कार्य-24 वृद्ध निर्माण कार्य के नामे अला

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संकाय-प्र.ओ.-220/XXVIII दिनांक 23 फरवरी, 2006 में प्राप्त राजकीय सहायता से जारी किये जा रहे हैं।

सहायक

4-55 (1)/11-2/05.वित्त/वि.वि.क।

संख्या-4-55 (1)/11-2/05.वित्त/वि.वि.क।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचारु एवं आंतरिक कार्यवाही हेतु भेजित :
1. महालेखाकार (लेखा प्रभाग), ओवरसैड गेटर्स विट्ठल, मजरा देहसदरा।
2. आयुक्त महानगर/कुमायू गण्डल, पीसी /नीतिगत।
3. रायरा सिताशिला/कोषाधिकारी, उल्लसवल।
4. मुख्य अभियंता, महानगर /कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि. पीसी/अलोड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहसदरा।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सड़क केन्द्र, उल्लसवल, देहसदरा।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उल्लसवल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड फ़ाइल।

मुख्य अभियंता, महानगर /कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि. पीसी/अलोड।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहसदरा।

निदेशक, राष्ट्रीय सड़क केन्द्र, उल्लसवल, देहसदरा।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उल्लसवल शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।

मुख्य अभियंता, महानगर /कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि. पीसी/अलोड।

गार्ड फ़ाइल।

(पीओ को पत्र)
संयुक्त सचिव।

आज्ञा से,
22वां वृत्त, लो.नि.वि. पीसी/अलोड।

सहायक सचिव।

मुख्य अभियंता, महानगर /कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि. पीसी/अलोड।

मुख्य अभियंता, महानगर /कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि. पीसी/अलोड।

सहायक सचिव।

	3	4	5	6
1. निर्माण में वास्तविक निर्माण दस्तावेज मार्गदर्शक के तहत निर्माण	5.00	100.00	7.40	0.01
2. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	7.00	153.70	102.76	0.01
3. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	0.960	5.61	5.60	0.01
4. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	2.165	50.88	49.40	0.01
5. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	-	66.50	66.50	0.01
6. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	-	7.85	7.70	0.01
7. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	-	4.23	4.23	0.01
8. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	0.25	3.53	3.53	0.01
9. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	0.25	3.53	3.53	0.01
10. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	1.50	21.15	21.15	0.01
11. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	2.00	28.20	28.20	0.01
12. निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण	0.50	7.05	7.05	0.01

TRUE - COPY

कॉपी - सीक्रेट - कोपी में निर्माण

सहायक निरीक्षक
निरीक्षण एवं
निरीक्षण

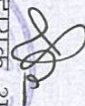
35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जात है कि प्रस्ताव उक्त बैंक सीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।


अमोन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

